

Non-Judicial



Indian-Non Judicial Stamp Haryana Government



Date : 20/12/2018

Certificate No. HET2018L16

GRN No. 42736451



Stamp Duty Paid : ₹ 9000

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Suman

H.No/Floor: Na

City/Village: Khedar

Phone: 9999999999

Sector/Ward: Na

District: Hisar

LandMark: Na

State: Haryana

Buyer / Second Party Detail

Name: Saroj

H.No/Floor: Na

City/Village: Hisar

Phone: 9999999999

Sector/Ward: Na

District: Hisar

LandMark: Na

State: Haryana

Purpose: LEASE DEED



3254

20/12/18

The authenticity of this document can be verified by scanning this QR Code Through smart phone or on the website <https://egraspy.nic.in>

पट्टानामा

आराजी जरई वास्ते 20 साला

बागर्ज पेट्रोल पम्प हेतू

बाशरह मुबलिंग 1,50,000/-रूपये सालाना।

स्टाम्प डियूटी 9,000/-रूपये।

रजिस्ट्रेशन फीस 1,000/-रूपये, ई-चालान जीआरएन नम्बर-42737523 द्वारा अदा की गई है।

बाकदर रकबा 02 कनाल/16 मरले नहरी कृषि भूमि वाका मौजा खेदड़, तहसील बरवाला जिला हिसार।

मैं श्रीमती सुमन पत्नी श्री राजबीर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी खेदड़, तहसील बरवाला जिला हिसार की हूं। जोकि आराजी जरई दर खेवट नम्बर 918 मिन//798 खतौनी नम्बर 1074 मिन जमाबन्दी साल सन् 2016-2017 में दर खसरा नम्बर 248//13/2 मिन पूर्व(0-16), 18 मिन पूर्व, उत्तर(2-0), किते 2 बाकदर रकबा 02 कनाल 16 मरले नहरी कृषि भूमि वाका मौजा खेदड़, तहसील बरवाला जिला हिसार की अनुसार कागजात माल रिकार्ड से वाहिद मालिक वा काबिज हूं, और जोकि अब तक हर किस्म के भार से मुक्त है। सो अब मैं रजामंदी खुद बिला किसी किस्म के दबाव के उपरोक्त सालिम आराजी रकबा को समेत अधिकार जुमला हक हकुक दाखली खारजी, हर किस्म मुतालका जिस कदर भी मुझे उपरोक्त आराजी रकबा पर अधिकार हासिल है, को बाशरह 1,50,000/-रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) में आधे जिनके 75,000/-रूपये (पिचहतर हजार रूपये) होते हैं, सालान की दर से दिनांक 20/12/2018 से दिनांक 19/12/2038 तक वास्ते बीस साला पट्टा बाहमराह:-श्रीमती सरोज पत्नी श्री रोहताश कुमार पुत्र श्री धर्मपाल निवासी मकान नम्बर 851 सर छोटूराम कालोन

Suman

Saroj

Saroj

ख नः 3254

दिनांक 20/12/2018

डीड संबंधी विवरण

ड का नाम LEASE

सीला/सब-तहसील, बरवाला

श/शहर खेदड

धन संबंधी विवरण

रा जिस पर स्टाम्प ड्यूटी लगाई 150,000.00 रुपये

रिस्ट्रेशन फीस की राशि 1,000.00 रुपये

स्टाम्प ड्यूटी की राशि 9,000.00 रुपये

पेस्टिंग शुल्क 1.50 रुपये

Service Charge: 200.00 रुपये

प्रलेख आज दिनांक 20/12/2018 दिन गुरुवार समय 1:46:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती सुमन /पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी राजबीर सिंह निवासी खेदड द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

पक्षर प्रस्तुतकर्ता

श्रीमती सुमन

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
बरवाला

पक्षर पट्टा देने वाला व श्री/श्रीमती/कुमारी सरोज पट्टा लेने वाला हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यवान सिंह नम्बरदार पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी राजबीर सिंह निवासी खेदड ने की। श्री नः 1 को हम नम्बरदार/अधिकृतता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 20/12/2018

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
बरवाला

प्रमाणित किया जाता है कि पंजीकृत वसीका की स्कैन प्रति jamabandi.nic.in पर डाल दी गई है।

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
बरवाला

हिसार, तहसील व जिला हिसार को कतई तौर से पेट्रोल पम्प हेतु पट्टा पर देकर कब्जा नाने। जो मालिक पट्टेदारा का करवाकर अपना कब्जा हर किस्म के अधिकार से हटा लिया है, और पट्टेनामा को गिरायते हस्ब जैल तय पाई है:-

1. यह है कि जरे लगान मुबलिंग 1,50,000/-रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) सालाना पेशगी बाखज रसीद पट्टेदारा से लेती रहूंगी, और बिला रसीद किसी भी जरे पट्टा की अदायगी तस्वर ना होगी।
2. पट्टेदारा उपरोक्त आराजी रकबा में पेट्रोल पम्प लगावे, तामिरात हर किस्म करे, ऑफिस बनावे अर्थात पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित कोई भी कार्य हर किस्म करें, इस पर मुझे व मेरे किसी भी अन्य वारसान को कोई उजर वा एतराज किसी किस्म का ना होगा।
3. पट्टेदारा उपरोक्त आराजी रकबा में अपने खर्चा से बिजली, पानी व टेलिफोन कनेक्शन ले सकेगी और बिल की अदायगी पट्टेदारा की होगी।
4. ता आयामें मियाद पट्टानामा मेरा या मेरे किसी भी अन्य वारसान का उपरोक्त आराजी रकबा से कोई ताल्लूक वा वास्ता किसी किस्म का ना होगा।
5. पट्टेदारी के दौरान कोई कुदरती नुकसान जैसे औलावृष्टि, बाढ व आगजनी वगैरा से हुआ तो उस सूरत में जो भी मुआवजा सरकार द्वारा मिलेगा उस पर पट्टेदारा का हक होगा।
6. पट्टेदारा सरकार की किसी भी स्कीम के तहत पेट्रोल पम्प लगावे, आगे किराये पर देवे, डी. टी.पी. विभाग से सी.एल.यू. व अनापति प्रमाण-पत्र वगैरा लेवे व सरकार द्वारा कोई भी किसी किस्म की सबसिडी वगैरा मिले तो उस पर पट्टेदारा का हक होगा जिस बाबत मुझे व मेरे किसी भी वारसान को कोई उजर वा एतराज किसी किस्म का ना होगा। और पट्टेदारा उपरोक्त आराजी रकबा को किसी भी कम्पनी के साथ सब पट्टानामा करती है, तो किराया बढ़ोतरी कम्पनी के शर्तों/नियमानुसार लिया जावेगा।
7. बाद गुजरने मियाद पट्टानामा, पट्टेदारा उपरोक्त आराजी रकबा को खाली करके कब्जा मालिका मौसूफ के हवाले कर देगी।
8. पट्टेदारा उपरोक्त आराजी रकबा को आगे पट्टा पर दे सकेगी और पट्टानामा को मनसुख भी करवा सकेगी। और किसी भी सरकारी/गैर सरकारी बैंक अथवा वित्तिय संस्था से ऋण भी ले सकेगी।
9. पट्टेदारा उपरोक्त आराजी रकबा में कोई गैर कानूनी कार्य ना कर सकेगी, अगर करेगी तो वह स्वयं जिम्मेवार होगी।
10. पट्टेदारा अगर जरे लगान अदा ना करेगी तो मालिका मौसूफ बजरिया अदालत जरे लगान वसूल कर सकेगी।

Saraj

Saraj

Saraj — 3

Reg. No.

3254

Reg. Year

2018-2019

Book No.

1



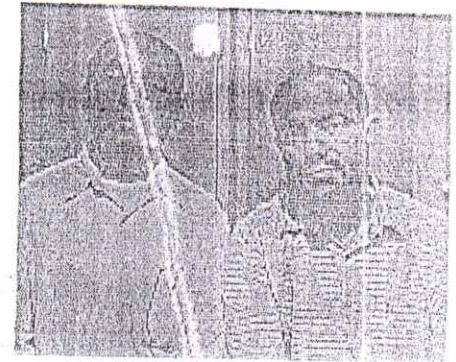
पट्टा देने वाला

दा देने वाला

महती सुमान



पट्टा लेने वाला



गवाह

दा देने वाला

महती सुमान

दा देने वाला

गवाह :- राजबीर सिंह

प्रमाण-पत्र

माणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 3,254 आज दिनांक 20/12/2018 को बही नः 1 जिल्द नः 97 के पृष्ठ नः 182 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 1,382 के पृष्ठ सख्या 65 से 66 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये हैं।

दिनांक 20/12/2018

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
बरवाला



11. पट्टानामा की अवधि समाप्त होने उपरान्त पट्टेद्वारा उपरोक्त आराजी रकबा का कब्जा वापिस मालिका मौसुफ को देने की पाबन्द होगी।
12. नुक्श मलकियति वा सुक्म कानूनी की हर किस्म की जिम्मेदारी व जवाबदेही मेरी होगी।
13. वारसान हमारे शरायत बाला के पाबन्द होंगे।

पस यह पट्टानामा 20 साला तहरीर कर दिया है कि सन्द रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 20/12/2018 मजमून पढकर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर हर प्रकार से ठीक माना और स्वीकार किया गया। बजरिये:-दिनेश कुमार प्रोवर वसीका नवीस बरवाला रजिस्ट्रेशन

नम्बर:-1366 दिनेश कुमार प्रोवर

श्रीमती सुमन पट्टा देहिन्दा

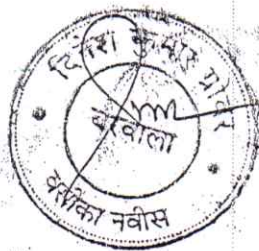
पट्टेद्वारा श्रीमती सरोज

Suman

Saroj

गवाह-1 सत्यवान सिंह नम्बरदार, खेदड़

गवाह-2 राजवीर सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, खेदड़



20/12/2018

Attested to Dr. Dinesh Kumar Prover

NOTARY, HISAR

5/3/19

Saroj

RECEIPT

उप तहसील: Barwala

जिला: हिसार

रसीद संख्या: 12380 20/12/2018

रसीद जो कि 300 (THREE HUNDRED) रु सरोज, हिसार, निवासी भूमि गांव खेदड से
बाबत ईन्तकाल फीस प्राप्त की।

रजिस्ट्री न.: 3254

तिथि: 20/12/2018

मोबाइल न.

विवरण

LEASE

हस्ताक्षर

12380

Sarraj